ए-12013/02/2015-प्रशा.I (बी)

भारत सरकार

नीति आयोग

दिनांक 9 सितम्बर, 2016

विषय: नीति आयोग में परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं के नियोजन की प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

परामर्शदाताओं के नियोजन के लिए दिनांक 23.12.2015 के पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, नीति आयोग में अब से नियोजित किए जाने वाले परामर्शदाताओं के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश निर्धारित किए जा रहे हैं जो इन दिशानिर्देशों को संशोधित किए जाने तक अथवा नए दिशानिर्देशों के जारी होने तक प्रभावी रहेंगे। ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

1.1 नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद, नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने, अवसर उपलब्ध कराने, सहभागितापूर्ण और अंगीकारी शासन तथा विकास प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निदेशात्मक और कार्यनीतिक सुझाव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का भी अधिदेश दिया गया है जिसके लिए कार्मिकों को काम पर रखने के मामले में पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक लचीलापन अपेक्षित है। अपेक्षित कौशल रखने वाले परामर्शदाताओं का होना अनिवार्य है। इन परामर्शदाताओं से उन क्षेत्रों में योगदान दिए जाने की प्रत्याशा की जाएगी जिन क्षेत्रों में नीति आयोग के ढांचे के अंतर्गत आंतरिक विशेषज्ञता सुलभ नहीं है। ये उच्च स्तर के व्यावसायिक होने चाहिए और नीति आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, शहरी आयोजना और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में अपनी सुविज्ञता प्रदान करने में समर्थ होने चाहिए।

2. परामर्शदाताओं के नियोजन के लिए सामान्य शर्तें

2.1 परामर्शदाताओं को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाएगा।

2.2 यथा-निर्धारित अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यावसायिकों को परामर्शदाताओं के रूप में रखा जाएगा। सुसंगत अनुभव वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी परामर्शदाताओं के रूप में चयन किए जाने के पात्र होंगे।

2.3 किसी व्यक्ति के लिए परामर्शदाता के रूप में नियोजन का प्रारंभिक कार्यकाल 3 वर्ष तक का होगा। कार्यकाल को तीन वर्ष से आगे बढ़ाने के संबंध में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से अपवादी परिस्थितियों में विचार किया जाएगा।

2.4 परामर्शदाताओं को अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं को नीति आयोग में कंसल्टेंसी की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य लेने की स्वीकृति नहीं होगी।

2.5 परामर्शदाताओं की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है और नीति आयोग द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

2.6 अंशकालिक परामर्शदाताओं को इस शर्त के अध्यधीन नियुक्त किया जाएगा कि उनके द्वारा नीति आयोग में किए जा रहे कार्य के संबंध में उनका कोई हितों का टकराव न हो।

3. परामर्शदाताओं की संख्या:

नीति आयोग द्वारा "योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा" योजना स्कीम के तहत नियोजित किए जाने वाले परामर्शदाताओं की कुल संख्या किसी विशिष्ट समय पर वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

4. अर्हताएं और अनुभव:

4.1 परामर्शदाता व्यावसायिक होने चाहिए और उनके पास संगत विषय में स्नातक/मास्टर/पीएचडी डिग्री के साथ-साथ अपेक्षित कार्यक्षेत्र में नीचे तालिका 1 में यथा-निर्धारित न्यूनतम अर्हता-उपरांत अनुभव होना चाहिए। योग्य उम्मीदवारों के संबंध में आपवादिक मामलों में कार्य अनुभव संबंधी अपेक्षा में ढील दी जा सकती है।

4.2 अपेक्षित कार्यक्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले तथा 7600 रु. (पूर्व- संशोधित) और इससे अधिक के ग्रेड वेतन अथवा पे मैट्रिक्स में स्तर 12 से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस पद के लिए पात्र होंगे।

4.3 विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर विशिष्ट पदों के लिए काम पर रखने संबंधी मानदंडों को और अधिक परिभाषित किया जा सकता है।

5. चयन की प्रक्रिया:

(i) परामर्शदाताओं का चयन सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 163, 165, 166, 170 एवं 177 और परामर्शदाताओं के नियोजन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के मैनुअल के अध्याय 7- परामर्शदाताओं का चयन (पैरा 1.2.1, पैरा 7.1 और पैरा 7.2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(ii) नीति आयोग की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर वेबसाइट पर और कम-से-कम एक समाचार-पत्र में विज्ञापित किया जाएगा।

(iii) प्राप्त आवेदनों को अपर सचिव/सलाहकार स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति के समक्ष रखा जाएगा (पैरा 9 देखें)।

(iv) लघु सूची में शामिल आवेदनों को सीईओ की अध्यक्षता वाली कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा (पैरा 9 देखें)।

(v) समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए 3 नामों का एक पैनल तैयार करेगी जिसमें प्रतीक्षा-सूची में 2 व्यक्ति शामिल होंगे। यह पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(vi) कुछ आपवादिक मामलों में, उपाध्यक्ष के अनुमोदन से, जीएफआर के अनुसार एक ही स्रोत से चयन करने पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति द्वारा इसके लिए पूरा औचित्य देना आवश्यक है।

6. परामर्शदाताओं की पात्रता:

(i) पूर्णकालिक अभ्यर्थियों को तालिका-1 में दर्शाए गए अनुसार मासिक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामले में, पारिश्रमिक डीओपीटी के मौजूदा मानकों के अनुसार होगा।

(ii) परामर्शदाता सरकारी आवास अथवा मकान किराया भत्ता, सीजीएचएस सुविधा आदि के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) किंतु पूर्णकालिक परामर्शदाता सरकारी ई-मेल आईडी, सरकारी पहचान-पत्र, इंटरनेट कनेक्शन, दूरभाष, मानक उपकरणयुक्त कार्यालय, पुस्तकालय सुविधा आदि के पात्र होंगे।

(iv) अंशकालिक परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक मामला-दर-मामला आधार पर निर्णीत होंगे।

तालिका-1

अर्हता उपरांत अनुभव के वर्ष	प्रति माह पारिश्रमिक की रेंज लाख रूपए में
0-5	0.3-1.0
5-10	0.5-2.5
10+	1.7-5.0

(v) उक्त के आधार पर,सीईसी प्रारम्भिक पारिश्रमिक की सिफारिश करेंगे और उनके पारिश्रमिक की सालाना समीक्षा करेंगे। यह पैकेज इस प्रकार पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता जिससे परामर्शदाता को नुक़सान हो।

7. यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता

परामर्शदाता को उनके कर्तव्यों के लिए अपेक्षित होने पर घरेलू/विदेशी दौरों पर जाने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए उन्हें 7,600/-रूपए (पूर्व-संशोधित) के ग्रेड-वेतन अथवा श्रेणी संख्या-1 के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12, 8,700/-रूपए (पूर्व-संशोधित) के ग्रेड-वेतन अथवा श्रेणी संख्या-2 के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 तथा 10,000/- रूपए के ग्रेड वेतन (पूर्व संशोधित) अथवा श्रेणी संख्या-3 के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 को आहरित करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमेय यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता तथा होटल सुविधा के लिए भुगतान किया जाएगा। दौरों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

8. छुट्टी

परामर्शदाता यथानुपात आधार पर एक वर्ष में 8 दिन की छुट्टी के पात्र होंगे। रिपोर्टिंग अधिकारी के अनुमोदन से ही,बिना वेतन के अतिरिक्त छुट्टियों की अनुमति दी जाएगी।

9. छानबीन समिति तथा परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति (सीईसी)

आवेदनों की छंटनी के लिए छानबीन समिति का संघटन [संदर्भ पैरा 5(iii)] तथा परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति [संदर्भ पैरा 5(iv)] का संघटन और अंतिम अनुमोदक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगेः

आवेदनों की छंटनी के लिए छानबीन समिति

अपर सचिव/सलाहकार- अध्यक्ष
सलाहकार-सदस्य
सलाहकार-सदस्य

आवेदकों के चयन के लिए परामर्शदात्री मूल्यांकन समिति*

सीईओ#
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस और एफए) अथवा एएस और एफए का प्रतिनिधि
सलाहकार (प्रशासन)
सीईओ द्वारा नामित किया जाने वाला सलाहकार

*** सीईसी में अलग-अलग मामले के आधार पर एक बाहरी विशेषज्ञ रखा जा सकता है।**

 # सीईओ अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी को सीईसी के अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकते हैं।

10. हित-विरोध

परामर्शदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह भारत सरकार के समूह "क" अधिकारियों पर अनुप्रयोज्य समस्त नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। उनसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईष्टतम ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और नेकनीयती की अपेक्षा की जाएगी। अगर परामर्शदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जातीं अथवा सरकार के हितों के प्रतिकूल पाई जाती हैं, तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएं बीच में ही समाप्त की जा सकती हैं।

11. सेवा समाप्ति नोटिस

नीति आयोग सलाहकार की सेवा को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द कर सकेगा। किंतु, सामान्यतः, आयोग परामर्शदाता को एक महीने का नोटिस देगा। परामर्शदाता भी नीति आयोग को एक माह का नोटिस देकर अपनी सेवा-समाप्ति का अनुरोध कर सकता है।

12. छूट

आपवादिक परिस्थितियों में तथा मेधावी अभ्यर्थियों के मामले में, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से नियमों और शर्तों को शिथिल किया जा सकता है।

13. सत्यापन

अनुसंधान एसोसिएट का पुलिस सत्यापन गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

14. नीति आयोग की पूर्व संस्वीकृति के बगैर, परामर्शदाता अपने अथवा किसी और के नाम से अथवा किसी छद्म नाम से ऐसा कोई पुस्तक अथवा आलेखों का संग्रह प्रकाशित नहीं करेगा, न ही रेडियो प्रसारण में शामिल होगा अथवा किसी समाचारपत्र या पत्रिका में कोई आलेख या पत्र भेजेगा जो नीति आयोग में कर्तव्य निर्वहन के लिए उसे आवंटित विषय-प्रभाग के मुद्दों से जुड़ा हो।

15. दिनांक 23.12.2015 के दिशानिर्देशों के तहत नियोजित परामर्शदाता दिनांक 23.12.2015 के दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

16. इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन तथा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस और एफए) द्वारा दिनांक 23.08.2016 की डायरी संख्या 1112 के माध्यम से प्रदत्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शशि पाल)
उप-सचिव, भारत सरकार